

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| सं. 327] | नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937       |
| No. 327] | NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015/AGRAHAYANA 25, 1937 |

---

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)  
जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना  
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

**विषय :** जनवादी गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित 'एल्यूमिनियम फॉयल' के निर्यातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 14/06/2015-डीजीएडी.—घरेलू उद्योग की ओर से मै. हिंडालको इंडस्ट्रीज लि., मै. रविराज फॉयल्स लि. और मै. जिन्दल इंडिया लि. (जिन्हें इसके बाद आवेदक याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इससे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसे बाद में प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एल्यूमिनियम फॉयल' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और अतः प्राधिकारी प्रथमदृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. घरेलू उद्योग के रूप में मै. हिंडालको इंडस्ट्रीज लि., मै. रविराज फॉयल्स लि. और मै. जिन्दल इंडिया लि. के द्वारा आवेदन किया गया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कंपनियों का घरेलू उत्पादन में “प्रमुख हिस्सा” बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि आवेदक कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

### विचाराधीन उत्पाद

5. जांच में विचाराधीन उत्पाद अल अल लेमिनेट और अल्ट्रा लाइट गॉज कन्वर्टिड और केपेसिटर को छोड़कर एल्यूमिनियम फॉयल है चाहे मुद्रित अथवा कागज, गत्ते लगे हों, प्लास्टिक अथवा ऐसी पैकिंग सामग्री लगी हो जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच की हो।”

6. एल्यूमिनियम की सिल्लियों को शीट में बनाया जाता है जिन्हें एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) कहा जाता है। एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद (एफ आर पी) को पुनः फॉयलों में बदला जाता है। दोनों में मोटाई का अंतर होता है। एफ आर पी की मोटाई 80 माइक्रोन से अधिक होती है, रोल किए एफआरपी (एल्यूमिनियम फॉयल) को जैसा है, उसी स्थिति में बेचा जाता है। अथवा इसे कागज, गत्ता (बोर्ड), प्लास्टिक अथवा अन्य पैकिंग सामग्री के साथ मुद्रित अथवा लेमिनेट किया जा सकता है (जिसे बैक भी कहा जाता है)। एल्यूमिनियम फॉयलों को उत्पादकों के द्वारा अथवा कन्वर्टरों के द्वारा अथवा अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा मुद्रित किया जा सकता है।

7. एल्यूमिनियम फॉयलों का खाद्य और पेय पदार्थों की सुरक्षा, भंडारण और तैयार करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉयल का बड़ी मात्रा में उपयोग दवाइयों की पैकिंग करने के भेषज उद्योग में, संसाधित खाद्य पदार्थों की पैकिंग करने के लिए खाद्य उद्योग में, सिगरेटों को लपेटने के लिए सिगरेट उद्योग में और अन्य प्रयोगों में किया जाता है।

8. संबद्ध वस्तुओं को उप शीर्षक सं. 7607 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक मात्र है और यह वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं तथा घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए अनुसार घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के आधार पर तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका उपयोग कर सकते हैं और इन दोनों को विनिमय करके उपयोग किया जा रहा है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अंतर्गत “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। इसलिए मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदक के द्वारा निर्मित की गई संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों/प्रान्तों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समनुरूप “समान वस्तुएं” माना जा रहा है।

### सम्मिलित देश

10. वर्तमान जांच चीन जनवादी गणराज्य (जिसे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के बारे में है।

### सामान्य मूल्य

11. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए। आवेदकों ने विधिवत

समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी अनुमान तथा चीन जनवादी गणराज्य के प्रक्रिया दिखाने वाले निर्यातकों द्वारा इसका खण्डन करने के अध्यधीन चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार अनुमान लगाया गया है।

### निर्यात कीमत

12. आवेदकों ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त हुए आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से भारित औसत आयात कीमत के अनुसार निर्यात कीमत का दावा किया गया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन, पत्तन एवं अंतर्देशीय भाड़ा व्ययों के लिए निर्यात कीमतों में फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समायोजन किया गया है।

### पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्यों की फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत से तुलना की गई है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं की सामान्य कीमत कारखानागत निर्यात कीमत से अधिक होते हैं जो यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से निर्यातों के द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन कीमतों से काफी अधिक है।

### क्षति और कारणात्मक संबंध

14. घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के बारे में विचार किया गया है। आवेदकों ने संपूर्ण आयातों में वृद्धि होने से, उत्पादन और खपत की तुलना में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि होने, कीमतों में कटौती, कम कीमत पर बिक्री से कथित पाटन किए जाने के परिणामस्वरूप उसको होने वाली क्षति के संबंध में तथा उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, माल सूचियों में ह्रास से आयातों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव होने से होने वाली क्षति के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" के बारे में प्रथम दृष्टया काफी प्रमाण हैं।

15. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अतः याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि आयातों से घरेलू उद्योग वस्तुगत क्षति होने की आशंका हो रही है। आवेदकों ने यह निवेदन किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग को वस्तुगत क्षति होने की आशंका के दावों के रूप में आयातों में काफी बढ़ोतरी, आयात कीमत में कमी, पर्याप्त अधिशेष क्षमता और संबद्ध देश में उत्पादकों की अधिक निर्यात क्षमता में वृद्धि हुई है।

### जांच अवधि

16. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि 1 अप्रैल, 2014 से 30 जून, 2015 (15 महीने) तक की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2011-मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 -मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 -मार्च, 2014 और जांच की अवधि शामिल होगी।

### सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है :-

निर्दिष्ट अधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,  
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली-110001

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समयसीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

#### समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई करने हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के बारे में की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां दें।

#### अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्रश्नावली के उत्तरों/निवेदनों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के मामले में इसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए - (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप से अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। दी गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित कर देना चाहिए।

22. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा गोपनीय वृत्तांतों की 2-2 प्रतियां और अगोपनीय वृत्तांतों की 5-5 प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है और/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, विषय परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. सार्थक गोपनीयता रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है अथवा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**  
**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2015

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Aluminium Foil', originating in or exported from China PR.**

**No. 14/06/2015-DGAD.**—M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd. and M/s. Jindal India Ltd. (hereinafter referred to as the applicant/domestic industry) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Aluminium Foil (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Domestic Industry & Standing**

3. The Application has been filed by M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd. and M/s. Jindal India Ltd. as the domestic industry.

4. As per the evidence available on record, the production of the applicant companies constitutes "a major proportion" of the domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant companies constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

**Product under consideration**

5. The product under consideration in the investigation is "Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron excluding Alu Alu Laminate and Ultra Light Gauge Converted and Capacitor".

6. Aluminium ingots are rolled into sheets called Aluminium flat rolled product (FRP). Aluminium Flat Rolled product (FRP) are rolled further into foils. The essential difference between the two is in thickness. The FRP have thickness greater than 80 microns. The rolled FRP (aluminium foil) may be sold as it is, or, it may be printed or laminated (also called backed) with paper, board, plastic or other packaging materials. Aluminium foils may be printed either by the producers or by converters or by end consumers.

7. Aluminium Foil is used extensively for the protection, storage, and preparation of foods and beverages. Major applications of aluminium foil are in the pharmaceuticals industry for packing medicines; food industry for packing processed foods, cigarette industry for wrapping cigarettes & other applications.

8. The subject goods is subsumed within Chapter 76 of the Custom Tariff Act, 1975 under sub-heading No. 7607. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

#### **Like Article**

9. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicants, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicants have further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries/territories.

#### **Countries involved**

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR (referred to as the "subject country").

#### **Normal Value**

11. Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and determined normal value in accordance with Paras 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicants have claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure I to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from china PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

#### **Export Price**

12. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from subject country based on the transaction-wise import data obtained from the DGCI&S. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses and port expenses to arrive at the net export price.

#### **Dumping Margin**

13. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

#### **Injury and Causal Link**

14. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, inventories. There is sufficient prima facie evidence of the 'material injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

15. The applicants have claimed that imports have spurted from China PR. Petitioner has therefore claimed that the imports are threatening material injury to the domestic industry. Applicants have submitted that there is significant increase in imports, decline in import price, significant surplus capacity and high export orientation of the producers in subject country as grounds for claiming threat of material injury to the domestic industry from subject imports.

**Period of Investigation (POI)**

16. The period of investigation for the present investigation is from 1st April, 2014 to 30th June 2015 (15 months). The injury investigation period will however cover the periods Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14 and the period of investigation.

**Submission of information**

17. The known exporters in the subject country, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,  
New Delhi -110001.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**Time limit**

19. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of Information on Non-Confidential basis**

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement alongwith the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority